

380

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को संदे इजलास सुनाया गया है।

वपनर ही।
 होकर नम्बर से कम ही एवं बाद तकमील जाबा दाखिल
 जाकर पत्रावली खालिज की जाती है। पत्रावली फूसल बीमार
 है। अतः प्रेकार सरकार द्वारा प्रस्तुत दरख्वास्त स्वीकार की
 आदिम कार्यवाही की जान का कोई आदिम प्रतीत नहीं होता
 मन्सूख हो गया है तो प्ररनात प्रकरण में किसी प्रकार की
 आवदन ही मानीय उख न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही
 में मन्सूख ही जाना स्वीकार किया है। अब जब अपीलार्थीन
 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष
 न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर द्वारा रिटिरीशन में
 अलाटमेंट आदेश दिनांक 03/8/1979 मानीय उख
 विवाहित भूमि से सम्बन्धित रेप्रीजेंटेशन के हक में किया गया
 किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रेकार सरकार ने उक्त
 भू-आवदन की शर्तों की अनुपालना नहीं की जाना जाहिर
 प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवाहित भूमि का आवंटि
 रेप्रीजेंटेशन को भू-आवदन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि
 अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर
 प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का
 हमने प्रेकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा

छया प्रति आदि रिकॉर्ड दरखावेजात पेश किये।
 मानीय उख न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की
 का निस्तरण कर दिया जावे। अपन कथन के समर्थन में
 सम्बन्धित भू-आवदन आदेश मन्सूख हो गया है। अतः प्रकरण
 निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी से
 राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित
 रिटीशन नम्बर 3374/2005 व उतवानी छोट्टे एवं अन्य बानाम
 उख न्यायालय राजस्थान बैंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट
 प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मानीय
 (नायब तहसीलदार काठपूर्वती) ने उपस्थित होकर प्ररनात
 होकर तहसीलदार काठपूर्वती की ओर से प्रेकार सरकार
 पत्रावली पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड

आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
----------------------	-------------

कट अहकाम
 बराम
 दिनांक 21/11/2016